#1247

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर ,कपासन जिला - चित्तौडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी , ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - लांगच

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 50 (63) दायर दिनांक 3/10/2025 निर्णय दिनांक 3/10/25

क्र.स.	नाम- ग्राम	खा.न	रिपोर्ट		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	लाखा का खेड़ा	14	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश कमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		तहसीलदर कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यपीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम लाखा का खेड़ा प.ह. तुरकिया खुर्द ---------- खातासं 14 में वर्तमान् प्रविष्ट बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	
			दिनेश पुत्र तुलसीराम जाट सा. देह रहन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा घमाणा	दिनेश पुत्र तुलसीराम जाट सा. देह रहन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा घमाणा	03.10.25 तहसीलदार कपासन जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)
			हस्ताक्षर पटवारी तुरकिया खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ(राज.)	हस्ताक्षर निरस्तेदार	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार

पदेन सहायक कलक्टर कपासन

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़